



## Meticulous Investigation & Prosecution

### BAGHPAT POLICE



"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत दहेज हत्या के आरोपियों- 1. सुमित, 2. संतोष देवी को पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप प्रत्येक को हुई 07 वर्ष के कारावास एवं 8,000 रुपये अर्थदंड की सजा ।



अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1-सुमित पुत्र ईश्वर, 2-संतोष देवी पत्नी ईश्वर निवासी गण ग्राम नवादा थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2020 में दहेज हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 109/2020 धारा 498ए/304बी/323 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.08.2025 को मा0 न्यायालय जिला जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1. सुमित, 2. संतोष देवी को पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप प्रत्येक को 07 वर्ष के कारावास एवं 8,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।



श्री राहुल नेहरा  
डीजीसी



है0का0 विनोद  
कुमार कोर्ट  
पैरोकार

विवेचक-क्षेत्राधिकारी जयराम  
(तत्कालीन सर्किल खेकड़ा)

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 21.08.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद ।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।



उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

## गिरफ्तार अभियुक्त

सावेज पुत्र महबूब निवासी काशीराम कॉलोनी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध चाकू ।

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 633 रुस्तम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- का0 647 प्रवीण भाटी थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 21.08.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बरामद ।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं

बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**महत्वपूर्ण सूचना**---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैजान पुत्र शहजाद निवासी विजयनगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० पंकज कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2.है०का० 788 करण सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3.है०का० 408 सुखवीर थाना बड़ौत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 21.08.2025

थाना बडौत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टे की खाई बाडी करते समय 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, 01 पैन व 490 रूपये नगद बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, 01 पैन व 490 रूपये नगद बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के

सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कृष्णपाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 01 सट्टा पर्चा ।
- 01 पैन ।
- 490 रूपये नगद ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत
- 2- है०का० 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत
- 3- है०का० 437 बलजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत
- 4- है०का० 366 अंकित सिंह थाना बडौत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 21.08.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 523/25 धारा  
109/115(2)/352/351/117(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया  
गिरफ्तार, जिनकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.08.2025  
को थाना बडौत पर  
वादी श्री संजू पुत्र श्री  
बिरम सिंह निवासी  
काशीराम कालोनी  
करबा व थाना बडौत  
जनपद बागपत ने  
लिखित तहरीर दी कि



अभियुक्तों 1. भारत पुत्र श्यामा, 2. आदित्य पुत्र अर्जुन, 3. विशाल पुत्र घसीटू  
निवासीगण काशीराम कॉलोनी करबा व थान बडौत व अन्य अज्ञात द्वारा वादी  
तथा उसके परिजनों के साथ लाठी-डण्डों, ईंट व धारदार हथियार से हमला  
करते हुए मारपीट की गयी एवं गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी  
दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु०अ०सं०  
523/25 धारा 109/115(2)/352/351 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 523/25 धारा 109/115(2)/352/351/117(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद हुआ है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त कुलदीप पुत्र भारत निवासी काशीराम कॉलोनी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया है व धारा 117(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1. भारत पुत्र श्यामा निवासी काशीराम कॉलोनी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत।
2. कुलदीप पुत्र भारत निवासी काशीराम कॉलोनी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 421 अंकुल थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 21.08.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 198/25 धारा 333/352/351(3)/109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर उसकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.07.2025 को थाना रमाला पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.अंकित उर्फ मोहनवीर पुत्र नेकीराम 2.कार्तिक पुत्र देवेन्द्र उर्फ काला 3.अभय उर्फ माटू पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत



व अन्य अज्ञात द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें वादिया का बाल बाल बच गयी व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 198/25 धारा 333/352/109/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 198/25 धारा 333/352/109/351(3) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट वृद्धि की गयी है।

## पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित उर्फ मोहनवीर पुत्र नेकीराम निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

## बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 खोखा कारतूस।

## अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 819 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 781 नीरज थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 233 धीरेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत